115

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2545–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–06–2014 – पारित द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया – प्रकरण कमांक 01/2013–14 स्व.निगरानी

1– सीताराम पुत्र रामसनेही पटेल
2– अयोध्या पिता रामसनेही पटैल
3– रामसेवक (मृतक) वारिस
रामसनेही पुत्र स्व.रामसेवक पटैल
सभी ग्राम ताली चंदिया तहसील चंदिया
जिला उमरिया मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिन्दु शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 11 –8–2017 को पारित)

यह निगरानी कलेक्टर उमरिया के प्रकरण 01/2013–14 स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ताली स्थित भूमि सर्वे कमांक 27/294/2, 26/294/3, 26/294/4 कुल किता 3 कुल रकबा 6.068 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) खसरे में आवेदकगण के नाम दर्ज थी। यह भूमि बॉधवगढ़ टाईगर रिजर्व बनक्षेत्र में स्थित है। बॉधवगढ़ टाईगर रिजर्व बनक्षेत्र में भूमि स्थित होने से आवेदकगण ने भूमि पर जाने के रास्ता विवाद के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 16549 /2012 दायर कर अनुतोष चाहा । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर

द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-10-13 के क्रम में आवेदकगण ने कलेक्टर उमरिया के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर उमरिया ने स्वमेव निगरानी प्रकरण कमांक 01/2013-14 पॅजीबद्व किया तथा हितबद्व पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 3-6-2014 पारित किया तथा जांच अनुसार विवेचित किया स्थल निरीक्षण पर संपूर्ण वादग्रस्त भूमि बन सीमा के अन्दर है , मौके पर इमारती लकड़ी एंव पेड़ खड़े हैं। भूमि पर किसी प्रकार की खेती नहीं होती है। आवेदकों द्वारा वर्ष 1974-75 से खेती करते चले आने का बताया गया तथ्य असत्य होने के कारण, वादग्रस्त भूमि (बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व) की भूमि होने के कारण बन विभाग को कब्जा सौंपने के आदेश दिये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब आवेदकगण ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 16549 /2012 दायर की है एंव **Area Derectoer, Tiger Reserve, Bandhavgarh, Foresx Department , Umaria** को पक्षकार बनाया है एंव कलेक्टर उमरिया ने भी आदेश दिनांक 3-6-14 से वादग्रस्त भूमि का कब्जा बन विभाग (बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व) को सौंपने के आदेश दिये है, किन्तु आवेदकगण ने राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी में **Derectoer, Tiger Reserve, Bandhavgarh, Foresx Department , Umaria** को पक्षकार नहीं बनाया है इस प्रकार निगरानी में पक्षकारों का असंयोजन है।

5/ प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार बांधवगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 21 अ-19(4)/1982-83 , प्रकरण कमांक 22 अ-19(4)/1982-83 एंव प्रकरण कमांक 24 अ-19(4)/1982-83 में पारित भूमि बन्टन/व्यवस्थापन आदेश दिनांक 9-5-1985 कलेक्टर उमरिया के प्रकरण 01/2013-14 स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-6-2014 से शून्यवत् हुआ है । अर्थात मूल मामला

राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 के अंतर्गत हुये भूमि व्यवस्थापन/बन्टन एंव निरस्तीकरण पर आधारित है विचार योग्य है कि क्या ऐसे आदेश के विरूद्ध राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 में अपील/निगरानी हेतु दिये गये प्रावधानों के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी श्रवण योग्य है ? राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 30 के अनुसार अपील,निगरानी, पुर्नविलोकन के निम्न नियम हैं :-

(क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश तहसीलदार/नायव तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है, उपखंड अधिकारी को,

(ख) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है - संभागीय कमिश्नर को,

(ग) कोई भी हितबद्ध पक्षकार कलेक्टर द्वारा पारित किये गये अपीली आदेश के विरूद्ध कमिश्नर के समक्ष और कमिश्नर द्वारा पारित किये गये अपीली आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर सकेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर